स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली 9 अप्रैल, 1987

सा.का.नि 402—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज (भण्डार अधिकारी) भर्ती नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में भण्डार अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज (भण्डार अधिकारी) भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि. उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम, 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	6क
भण्डार अधिकारी	1* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय	650-30-740-35-810-द रो-35-880-40-1000-द रो-40-1200 रुपये	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत तारीख अन्तिम तारीख होगी।	नहीं

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में या औषध निर्माण विज्ञान या जैव रसायन या औषध रसायन में मास्टर की डिग्री या रासायनिक इंजीनियरी/रासायनिक प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य। (2) किसी चिकित्सा सामग्री भण्डार या वैसे ही किसी संगठन में भण्डार की देखरेख, अभिरक्षा और सम्हाल करने की किसी उत्तरदायित्वपूर्ण हैसियत से काम करने का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग /विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वांछनीय : भण्डार लेखा का कार्यसाधक ज्ञान।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा।
10	11
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :— (क) (1) जो सदृश पद धारण करते हैं; या (2) जिन्होंने 550-900 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष सेवा की है; या (3) जिन्होंने 425-700/800 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव आदि हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में, इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
12	13
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति : पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिये) (1) अपर महानिदेशक—अध्यक्ष	सीधी भर्ती करते समय, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

12	13
(2) निदेशक (प्रशासन और सतर्कता) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय---सदस्य (3) प्रधानाचार्य और चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली—सदस्य (4) उप-निदेशक/प्रशासन संगठन और पद्धति स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय--सदस्य टिप्पण : --पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जायेंगी किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	

[सं. ए-12018/3/82-एम.ई. (यू. जी.)]
एस. एस. जिन्दल, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Deptt. of Health)

New Delhi, the 9th April, 1987

G.S.R. 402.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Lady Hardinge Medical College (Stores Officer) Recruitment Rules, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Stores Officer in the Lady Hardinge Medical College, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College (Stores Officer) Recruitment Rules, 1987.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, its classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.

4. Disqualification—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C. C. S. (Pension) Rules 1972.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	6(a)
Stores Officer	1* (1987) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group B Gazetted Ministerial.	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	Not applicable.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.	No.

(6)
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruit	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : Master's degree in Chemistry or Pharmacy/Biochemistry or Pharmaceutical Chemistry or degree in Chemical Engineering/Chemical Technology of a recognised University or equivalent 1 year's experience in a responsible capacity in care, custody and handling stores medical store or a similar organisation. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. 2 : The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates of these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : Working knowledge of Stores Accounting.	Not applicable	2 years	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Transfer on deputation : Officers of the Central Government (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 550-900 or equivalent; or (iii) with 8 years' service in posts in the scale of Rs. 425-700/800 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications, experience etc. prescribed for direct recruits under column (7). (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years.)	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : (i) Additional Director General — Chairman (ii) Director (Administration & Vigilance), Directorate General of Health Services — Member (iii) Principal and Medical Superintendent, Lady Harding Medical College & Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi — Member (iv) Deputy Director Administration (Organisation & Method), Directorate General of Health Services — Member Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, how-	Consultation with the Commission necessary while making direct recruitment.

	12	
	ever, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held	

[No. A 12018/3/82-ME(UG)]
S S JINDAL, Desk Officer

शहरी विकास मंत्रालय

(भूमि प्रभाग)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1987

सा का नि 403 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पद से संबंधित विद्यमान भर्ती नियमों को अधिक्रांत करते हुए, शहरी विकास मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय में समूह "ख" के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भूमि और विकास कार्यालय (समूह "ख") लेखा अधिकारी भर्ती नियम, 1987 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	6(क)
लेखा अधिकारी	1*(1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित	2375-75-3200-द.रो-100-3500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता